

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

::आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014

क्रमांक एफ 19-98/2014/1/4:: माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दिनांक 08 अक्टूबर 2014 एमएसएमई कन्वेंशन डे पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई। उक्त घोषणा के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा बोर्ड का गठन निम्नानुसार करता है:-

अध्यक्ष-

शासकीय सदस्य

माननीय मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वाणिज्य, उद्योग और
रोजगार विभाग

उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश

प्रबंध संचालक, म0प्र0 ट्रायफेक

प्रबंध संचालक, म0प्र0 लघु उद्योग निगम

अशासकीय सदस्य

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ

अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती

अध्यक्ष, पीएचडी चेम्बर ऑफ कामर्स इण्डस्ट्री

अध्यक्ष, एसोचेम

अध्यक्ष, सीआईआई मध्यप्रदेश

अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज म0प्र0

अध्यक्ष, ऑल इण्डिया मैनुफैक्चर्स, ऑर्गनाइजेशन

अध्यक्ष, एमपी एसोसिएशन वूमेन इन्टरप्रेन्योर्स

अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ चेम्बर कामर्स इण्डस्ट्रीज

अन्य अशासकीय सदस्य (पांच)- शासन द्वारा अन्य उद्योग संघों से मनोनीत

सदस्य सचिव

संचालक एमएसएमई उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश

2/

होगे:-

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड के दायित्व निम्नानुसार

1. एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन हेतु परामर्श एवं सुझाव

2. मध्यप्रदेश की उद्योग नीति पर सुझाव


3. उद्योगों में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण

3/

लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड द्वारा उद्योग संवर्धन संबंधी अनुशंसाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति को प्रस्तुत की जावेगी। लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार की जावेगी। बैठकों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(डॉ० अमिताभ अवस्थी)


उप सचिव

म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 19-98/2014/1/4
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014

1. अध्यक्ष/शासकीय सदस्य/अशासकीय सदस्य/सदस्य सचिव।
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
 4. वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित।
 5. उप संचालक, जनसंपर्क, (मंत्रालय) प्रकोष्ठ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

 14/10/14
उप सचिव

म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग


14/10/14